प्रेस नोट

अनुसूचित जाति तथा जनजाति शोषित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं इनको सामाजिक ढांचे में सामान्य वर्ग के लोगों के समकक्ष लाने के उद्देश्य के लिये संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसी के तहत इन वर्गों को शैक्षणिक, राजनैतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में आरक्षण दिया जाना है। राजकीय सेवाओं में भर्ती के साथ–साथ पदोन्नति में भी इसी उद्देश्य से आरक्षण की व्यवस्था की गई थी।

लम्बे न्यायिक संघर्ष के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 29.08.12 को निर्णय पारित करके राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना दिनांक 11.09.11 व भटनागर समिति की रिर्पोट को सही मानते हुए राजस्थान राज्य में राजकीय सेवाओं में 18 साल से रूकी हुई पदोन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया था। लेकिन अधिकारियों द्वारा दिनांक 11.09.2011 की अधिसूचना की गलत व मनमानी व्याख्या करते हुये पदोन्तियों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिये क्रमशः 16%, व 12% आरक्षण की व्यवस्था के साथ–साथ शेष वर्गों के लिये अपरोक्ष रूप से 72% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। इस प्रकार पदोन्नति में शत प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया गया है जो कि असंवैधानिक ही नहीं वरन् माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों की भी खुली अवहेलना है।

सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में आज तक स्पष्ट आदेश व निर्देश जारी नहीं किये गये हैं फलस्वरूप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.09.2012 के पश्चात 85 वें संविधान संशोंधन की भावना के अनुरूप आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों को परिणामिक वरिष्ठता हेतु मिले लाभ को समाप्त करके regaining के सिद्धान्त को अपरोक्ष रूप से लागू करने के लिये अधिकारियों द्वारा षडयंत्र रचा जा रहा है।

परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति–जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को न केवल अपनी वाजिब वरिष्ठता से वंचित किया जा रहा है वरन् उन्हें अपने कनिष्ठ सामान्य वर्ग के अधिकारियों से भी नीचे धकेला जा रहा है, इससे अनुसूचित जाति–जनजाति वर्ग में भारी असन्तोष व्याप्त है तथा सम्पूर्ण प्रदेश में इस वर्ग में जन आन्दोलन की लहर फैलती जा रही है। इसी के साथ आरटेट (RTET) के सम्बन्ध में न्यायालय के निर्णय से भी युवा व विद्यार्थी वर्ग में भारी असन्तोष है जो कभी भी उग्र रूप धारण कर सकता है।

Contd……2

इन समस्याओं के सम्बन्ध में आरक्षण मंच का एक प्रतिनिधि मण्डल माननीय मुख्यमंत्री महोदय से दिनांक 21.11.2012 को वार्ता कर चुका है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमारी समस्याओं व मांगों के सम्बन्ध में पूर्ण आश्वासन दिया गया था। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इससे अनुसूचित जाति–जनजाति वर्ग में भारी असन्तोष व्याप्त है।

प्रदेश में अनुसूचित जाति–जनजाति वर्ग पर स्वतंत्रता के 65 वर्षों के उपरान्त भी अन्याय व अत्याचार हो रहा है। हमारी महिलाओं को आसान टारगेट माना जाता है। हमें आज भी समाज में सम्मान व बराबरी का हक प्राप्त नहीं है। हमें व्यवहार में दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है। आर्थिक क्षेत्र में हम आज भी मजदूरी तक सीमित है। समाज इस वर्ग से क्या चाहता है, क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? यह सब बातें आने वाले समय में चलने वाली नहीं है। इन सभी बातों को समाहित करते हुये अनुसूचित जाति–जनजाति आरक्षण मंच राजस्थान द्वारा दिनांक 23.12.2012 (रविवार) प्रातः 10.00 बजे उद्योग मैदान, स्टेच्यू सर्किल के पास **''आरक्षण महारैली''** का आयोजन किया जा रहा है। इस महारैली में राजकीय सेवाओं में आरक्षण के साथ युवा, सामाजिक आर्थिक तथा राजनैतिक मुद्दों पर केन्द्र व राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया जायेगा। महारैली में हमारी मांगे निम्न प्रकार है :–

1. संसद में पदोन्नति में आरक्षण विधेयक पारित किया जाये तथा आरक्षण कानून बनाया जाये।

2. अनुसूचित जाति–जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में राजकीय सेवाओं में क्रमशः 17%+13%=30% आरक्षण का प्रावधान किया जाये।

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिनांक 29.08.2012 को दिये गये निर्णयानुसार पदोन्नति में वरिष्ठता (Consequential Seniority) को बरकरार रखा है जिसके फलस्वरूप अनुसूचित जाति–जनजाति को पदोन्नति में परिणामिक वरिष्ठता का लाभ देय होगा। लेकिन विभिन्न विभागों में **अनुसूचित जाति–जनजाति के 16 व 12 प्रतिशत आरक्षित कोटे में पदोन्नति करने के बाद यदि कोई आरक्षित वर्ग का कर्मचारी सामान्य वरिष्ठता में पदोन्नति का पात्र है तो भी उसकी पदोन्नति नहीं की जा रही है व आरक्षित वर्ग के कर्मचारी से सामान्य वर्ग के कनिष्ठ कर्मचारी को पदोन्नत किया जा रहा है जो कि नियमानुसार गलत है।** परिणामिक वरिष्ठता देय है तो आरक्षित वर्ग के कर्मचारी से सामान्य वर्ग के कनिष्ठ कर्मचारी को पदोन्नत करना संविधान की भावनाओं का उल्लंघन होगा व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत भी होगा। आरक्षित वर्ग का कोटा पूर्ण होने पर आरपीएससी तथा भर्ती की वरिष्ठता के एससी, एसटी के अधिकारी/कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं की जा रही है जबकि उनसे कनिष्ठ बैच के सामान्य कर्मचारियों को पदोन्नति दी जा रही है जो नियमानुसार गलत है।

4. हाल ही में विभिन्न विभागों में जो पदोन्नतियाँ की जा रही है, एससी, एसटी का कोटा पूर्ण होने पर वरिष्ठ एससी, एसटी के कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं दी जा रही है जबकि न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णय तथा कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 20.10.2000 तथा 24.06.

2008 के अनुसार ऐसे कर्मचारियों को सामान्य वर्ग (अनारक्षित) पद के विरूद्ध पदोन्नति दी जायेगी तथा उस संवर्ग में आरक्षित पद रिक्त होने पर उसे आरक्षित पद पर समायोजित किया जायेगा।

Contd……3

इस सम्बन्ध में कार्मिक (क–2) विभाग ने अपने परिपत्रादेश क्रमांक एफ 15 (24)कार्मिक/क–2/75–3 दिनांक 20.10.2000 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया था कि "So far as 'reserve posts' are concerned they can be filled in by way of promotion of the members of the SC/ST only and no general candidate can be appointed against such reserve posts unless no other suitable SC/ST candidate is available. **But so far as the non-reserved posts are concerned all candidates whether they are general or SC/ST are to be considered as per their seniority for these posts and in the event of appointment of SC/ST candidates to such general posts their number cannot be added and taken into consideration for working out the percentage of reservation. Thus general candidates cannot compete for reserve posts whereas reserve category candidates can compete for non-reserve posts."**

इस सम्बन्ध में 85 वें संशोधन की पालना में कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या No. F 15 (24) DOP/A-II/75 दिनांक 24.06.20008 के पैरा 7.2 में वर्णित है कि "This is because after the 85th constitutional amendment and the subsequent change in the service rules, SC/ST category candidates will get consequential benefits of promotion by virtue of reservation. Therefore, even if SC/ST quota of promotion post is full, a SC/ST candidate (who is otherwise suitable for promotion) is to be promoted against a non reserved post, in case he is senior than a non reserved candidate, However, he will be counted against the SC/ST quota and adjustment will be done as soon as possible to remove the excess." एवं पैरा 7.3 में दिये गये उदाहरण द्वारा मय सारणी के स्पष्ट किया गया है कि यदि आरक्षित वर्ग का कर्मचारी सामान्य वरियता में आता है तो उसको पदोन्नति देय होगी।

5. राज्य सरकार द्वारा 11.9.11 की अधिसूचना में यह निर्धारित किया गया था कि यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी अपने वर्ग के अनुपात से अधिक होने की स्थिति में उसे पदावनत नही किया जायेगा परन्तु विभिन्न विभागों में पद सीमित होने की स्थिति में ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को उनसे निम्नतर पद पर लगाया जाकर अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें पदावनत किया जा रहा है। **ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि एड्होक होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए उसी वर्ष छाया पद का सर्जन, उसके नियमित होने अथवा पदोन्नत होने तक किया जावें। उसको उसी संवर्ग की वरिष्ठता सूची में रखा जावे न कि नीचे के संवर्ग की वरिष्ठता सूची में।**

6. राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 11.09.11 को 01.04.97 से लागू करने का निर्णय लिया गया है। ऐसी स्थिति में वरिष्ठता सूची बनाते समय यदि आरक्षित वर्ग के अधिकारी उपलब्ध न हो पाने का आधार लेकर रिक्तियो को सामान्य वर्ग के अधिकारियों से भरने की कवायद नही की जाए। ऐसे पदो पर आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नत करने हेतु नियमों मे यथा जोन ऑफ कन्सिड्रेशन व अनुभव की शिथिलता दी जाये। चूंकि दिनांक 11.09.11 की अधिसूचना से आरक्षित वर्गो हेतु पदोन्नति में 28 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अतः ऐसी स्थिति मे दिनांक 01.04.97 से मैरिट फार्मूले को भी समाप्त किया जाये जिससे प्रत्येक संवर्ग मे आरक्षित वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकें। **यदि किसी कारण से आरक्षित वर्ग का कोई**

रिक्त पद नहीं भरा जा रहा हो तो उस पद को Carry Forward कर आगामी वर्षों में उसी वर्ग के कर्मचारी से भरा जाए।

7. अगर किसी वर्ष विशेष में बैकलॉग की पूर्ति करने के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी/अधिकारी अधिक पदोन्नत हुए है तो 16% व 12% की गणना करते समय इन्हें सम्मिलित नहीं किया जावें। ऐसे कर्मियों/अधिकारियों की वरिष्ठता प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

Contd……4

8. पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था लागू करते समय 6 से कम पदों वाले संवर्ग में रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों का निर्धारित अनुपात सुनिश्चित नही हो पाता है। ऐसे संवर्ग मे सामान्यतया कुल पद 8 स्वीकृत होने पर अनुसूचित जाति का 1 व्यक्ति ही चयनित हो पाता है, जो कुल 100 प्रतिशत आरक्षित रोस्टर में 8 पद के आधार पर 8 प्रतिशत ही आरक्षण बनता है। जबकि नियमानुसार 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत आरक्षण होना जरूरी है। **अतः ऐसे संवर्ग में 28 प्रतिशत अनुपात सुनिश्चित किये जाने के लिए अनुसूचित जाति हेतु तीसरा एवं अनुसूचित जनजाति हेतु पांचवा पाइन्ट निर्धारित किया जाए एवं इसी तरह 100 बिन्दु तक संशोधन किया जाए।**

9. दिनांक 11.9.11 की अधिसूचना को सही अर्थ में लागू करने के लिए आवश्यक है कि पदोन्नति हेतु विचारणा जोन (Zone of Consideration) के सिद्धान्त को समाप्त किया जाए जिससे प्रत्येक संवर्ग में आरक्षित वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।

10. डी पी सी में अजा–जजा का प्रतिनिधि होना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जावे।

11. आदिवासी क्षेत्र में यथा डूंगरपुर, बाँसवाड़ा, उदयपुर तथा बारां (जनजाति उपयोजना क्षेत्र) में होने वाली सीधी भर्ती में राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर अनुसूचित जनजाति के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए 45 प्रतिशत की व्यवस्था की गई है। आजादी के 65 वर्षों में भी सरकार व्यवस्थित शिक्षा व्यवस्था नहीं लागू कर पाई हैं जिससे आरक्षित वर्गों की रिक्तियाँ पूर्ण रूप से नहीं भरी जा रही है। उक्त भर्ती से रिक्त रहे पदों को सामान्य वर्ग के द्वारा भरा जा रहा है जो गलत है। अतः निवेदन है कि ऐसे रिक्त पदों को क्रमशः अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति से ही भरा जावे।

12. सभी विभागों को रोस्टर रजिस्टर संधारित किया जाये। आरपीएससी तथा भर्ती की वरिष्ठता को रोस्टर बिन्दु के अनुसार वरिष्ठता क्रम में रखा जाये न कि एससी–एसटी वर्ग के अधिकारियों को वरिष्ठता क्रम में सबसे नीचे रखा जाये।

13. बैकलॉग के पदों को समय सीमा में ईमानदारी से विशेष भर्ती अभियान के द्वारा भरा जाये तथा तीन वर्ष का राईडर नहीं लगाया जाये।

14. उच्च न्यायालय में एससी–एसटी वर्ग का प्रतिनिधित्व नगण्य है, वर्तमान में उच्च स्तर पर न्यायिक चयन प्रक्रिया दूषित है। हाइकोर्ट स्तर पर 98% तथाकथित सवर्ण जातियों के न्यायाधीश कार्यरत है। अतः संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जाये।

15. न्यायिक सेवा में एससी–एसटी वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाये।

16. देश के आर्थिक संसाधनों के 85 प्रतिशत भाग पर 15 प्रतिशत तथाकथित सवर्ण लोगों का कब्जा है जबकि आर्थिक संसाधनों में सभी वर्गों की आनुपातिक भागीदारी होनी चाहिये।

17. देश में एससी, एसटी वर्ग के उत्पीड़न में राजस्थान का द्वितीय स्थान है। अतः एससी–एसटी वर्ग के उत्पीड़न व अत्याचार की रोकथाम के लिये प्रभावी कदम उठाये जावें।

Contd……5

18. निजीकरण, ठेकेदारी व सरकारी उद्योगों को बेचकर सरकारी नौकरियों को खत्म करने का षड़यंत्र समाप्त किया जाये एवं राजकीय सेवाओं के अतिरिक्त निजि क्षेत्र व सेवाओं में भी आरक्षण दिया जाये।

19. उच्च वर्ग को प्राप्त धर्म आधारित आरक्षण समस्त समस्याओं की जड़ है, जिसका निराकरण सरकार व उच्च वर्ग द्वारा नहीं किया जा रहा है। धर्म आधारित आरक्षण को समाप्त किया जाये।

अनुसूचित जाति–जनजाति आरक्षण मंच राजस्थान राज्य सरकार से निवेदन करता है कि दिनांक 11.09.11 की अधिसूचना के आधार पर पदोन्नति किये जाने हेतु उपरोक्त बिन्दुओं को समाहित करते हुये स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किये जाए। इन दिशा निर्देशो के जारी किये जाने तक तत्काल प्रभाव से समस्त डीपीसी को रोका जाये एवं इन दिशा निर्देशो के आधार पर पूर्व मे की गई डीपीसी को भी रिव्यू किया जाये।

सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक स्तर पर स्वतंत्रता के 66 वर्षों में जो स्थिति है, उसमें सुधार लाने के लिये सरकार तथा समाज द्वारा ठोस कदम उठाये जाने चाहिये ताकि इन वर्गों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।

हमारा सरकार से निवेदन है कि सारी समस्याओं को हल्के तौर पर नहीं लिया जाये। अनुसूचित जाति–जनजाति वर्ग के साथ सदियों से अन्याय व अत्याचार हुआ है। इस लोकतांत्रिक युग में यह सब बातें चलने वाली नहीं है। आरक्षण महारैली तो एक शुरूआत है। वरन् पूरे प्रदेश में इन जन समस्याओं को लेकर जन आन्दोलन शुरू किया जायेगा।

उपरोक्त सभी समस्याओं को लेकर दिनांक 15.12.2012 से एससी–एसटी आरक्षण मंच की ओर से अम्बेडकर सर्किल पर क्रमिक धरना दिया जायेगा तथा दिनांक 23 दिसम्बर 2012 (रविवार) को प्रातः 10.00 बजे उद्योग मैदान, स्टेच्यू सर्किल के पास आरक्षण महारैली रखी जायेगी। महारैली में अनुसूचित जाति–जनजाति के सांसद, विधायक तथा जन प्रतिनिधि भाग लेगें। सभी जनप्रतिनिधियों को आमन्त्रण पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं।

ई. आशा राम मीणा
महासचिव

जे.पी. विमल (Retd. IAS)
अध्यक्ष